



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्तिभवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-895-औ०सं०/2025-48-ए०एस०/24

प्रबन्ध निदेशक,

पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल

विद्युत वितरण निगम लि० एवं केस्को

वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ एवं कानपुर।

दिनांक 01 अप्रैल, 2025

ई-मेल/तत्काल कार्यवाही

विषय:-विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा दिनांक 09.04.2025 को लखनऊ में विशाल रैली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ०प्र० के पत्र संख्या-261/संघर्ष दिनांक 08.03.2025 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में आगामी रिफार्म के विरोध में दिनांक 09.04.2025 को लखनऊ में विशाल रैली किये जाने का नोटिस दिया है।

उ०प्र० शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-866/24-पी-2-24-1(121)/04 दिनांक 06.12.2024 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-30 सन् 1966) की धारा(3) की उपधारा (1) के अन्तर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश से कारपोरेशन के पत्र संख्या-3971-औ०सं०-17/पाकालि/2024-159-ए/67 दिनांक 24.12.2024 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सभी प्रबन्ध निदेशकों एवं अन्य अधिकारियों को संसूचित किया गया है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का सत्याग्रह आन्दोलन/प्रदर्शन/कार्य बहिष्कार करना न केवल अनुचित है अपितु, अवैधानिक भी है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत अनुरोध है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ०प्र० द्वारा दिनांक 09.04.2025 को प्रस्तावित विशाल रैली/प्रदर्शन/आन्दोलन के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति को प्रत्येक स्थिति में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व संयन्त्रों तथा कार्य कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये। कृपया उक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

14/04/25

(कमलेश बहादुर सिंह)

निदेशक(का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या-895-औ०सं०/2025, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/उ०प्र०एस०एल०डी०सी०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा।
5. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जानपद), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार को आन्दोलन के दृष्टिगत जिला/पुलिस प्रशासन से शक्ति भवन की सुरक्षा व्यवस्था कराने एवं शक्ति भवन एवं शक्ति भवन विस्तार की वीडियोग्राफी कराने हेतु।
7. समस्त महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (लेखा),/उप मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. कारपोरेशन मुख्यालय/लेखा-शाखा के समस्त अधिकारीगण, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. संयुक्त सचिव (ज0श0 एवं प्र0सु0 एवं कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ✓ 10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

11. कट फाइल।

संलग्नक-यथोपरि।

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबंधक(औ0स0)

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र

41/557, डा0 तुफैल अहमद मार्ग, लोहिया मजदूर भवन, नरही, लखनऊ - 226001

पत्र सं. - 261/संघर्ष

सेवा में,

08.03.2025

अध्यक्ष,

उप्र पाकालि/उप्र पाट्राकालि/ उप्र राविउनिलि,
लखनऊ।

विषय :- बिजली के निजीकरण के विरोध में ध्यानाकर्षण कार्यक्रम की सूचना।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के पत्र सं0 234/संघर्ष दिनांक 02.12.2024, पत्र सं0 235/संघर्ष दिनांक 04.12.2024, पत्र सं0 236/संघर्ष दिनांक 06.12.2024, पत्र सं0 238/संघर्ष दिनांक 08.12.2024, पत्र सं0 240/संघर्ष दिनांक 11.12.2024, पत्र सं0 246/संघर्ष दिनांक 22.12.2024, पत्र सं0 247/संघर्ष दिनांक 22.12.2024, पत्र सं0 248/संघर्ष दिनांक 24.12.2024, पत्र सं0 249/संघर्ष दिनांक 26.12.2024, पत्र सं0 250/संघर्ष दिनांक 08.01.2025, पत्र सं0 253/संघर्ष दिनांक 16.01.2025, पत्र सं0 254 दिनांक 25.01.2025, पत्र सं0 256/संघर्ष, दिनांक 03.02.2025 एवं पत्र सं0 259 दिनांक 25.02.2025 को संदर्भित करने की कृपा करें जिसके माध्यम से आपसे अनुरोध किया गया था कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की चल रही प्रक्रिया निरस्त करने की कृपा करें।

2. विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के केन्द्रीय पदाधिकारियों की 08 मार्च, 2025 को लखनऊ में हुई बैठक में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की प्रक्रिया निरस्त न किये जाने के कारण चल रही परिस्थितियों पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श किया गया।

3. संघर्ष समिति की बैठक में निजीकरण हेतु बड़े पैमाने पर अत्यन्त अल्प वेतन भोगी संविदा कर्मियों को हटाये जाने का विरोध किया गया और यह मांग की गयी कि संविदा कर्मियों को हटाये जाने का आदेश वापस लिया जाये और हटाये गये संविदा कर्मियों को तत्काल सेवा में वापस लिया जाये।

4. संघर्ष समिति की बैठक में इस बात पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गयी कि इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट 1999 और ट्रांसफर स्कीम 2000 का खुला उल्लंघन करते हुए बिजली कर्मियों के यहां एकतरफा ढंग से मीटर लगाने के निर्देश जारी किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट 1999 और ट्रांसफर स्कीम 2000 में स्पष्ट उल्लेख है कि बिजली कर्मियों को मिल रही रियायती बिजली की सुविधा और मेडिकल रिइम्बर्समेंट टर्मिनल बेनेफिट का हिस्सा है। मीटर लगाकर एल एम वी 10 के तहत मिल रही रियायती बिजली की सुविधा को समाप्त किया जाना उक्त एक्ट का सरासर उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त 03 दिसम्बर 2022 को मा. मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी आई ए एस (से.नि.) की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री अरविन्द कुमार शर्मा के साथ हुए लिखित समझौते में भी यह उल्लेख किया गया है कि बिजली कर्मियों को मिल रही रियायती बिजली की सुविधा पूर्ववत मिलती रहेगी। संघर्ष समिति ने मांग की कि उक्त के दृष्टिगत बिजली कर्मियों के यहां मीटर लगाने का कार्य तत्काल बन्द किया जाये और रियायती बिजली की सुविधा पूर्ववत जारी रखी जाये।

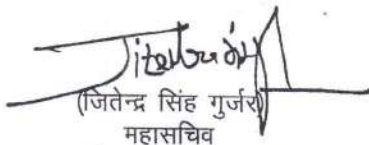
5. संघर्ष समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार हमारा आपसे निवेदन है कि निम्नवत् कार्यवाही कराने की कृपा करें :-

अ) पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की प्रक्रिया

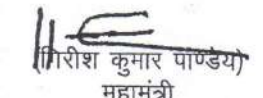
- ब) अत्यन्त अल्प वेतन भोगी निविदा, संविदा कर्मियों को डाउन साईजिंग के नाम पर तथा 55 वर्ष की आयु के नाम पर हटाये जाने के आदेश तत्काल निरस्त किये जायें और हटाये गये सभी निविदा, संविदा कर्मियों को तुरन्त सेवा में बहाल किया जाये।
- स) बिजली कर्मियों के यहाँ मीटर लगाये जाने का काम तत्काल बन्द किया जाये और बिजली कर्मियों को रियायती बिजली की सुविधा पूर्ववत् जारी रखी जाये।
6. विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र द्वारा लिये गये निर्णयानुसार हम आपको यह सूचित करना चाहते हैं कि यदि उपरोक्तानुसार सार्थक कार्यवाही न की गयी तो सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी और अभियन्ता निम्नवत् ध्यानाकर्षण आन्दोलन करने हेतु विवश होंगे :-
- अ) 09 अप्रैल 2025 को बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी और अभियन्ता राजधानी लखनऊ में शान्तिपूर्वक विशाल रैली निकालेंगे।
- ब) 24 मार्च 2025 को मेरठ में एवं 27 मार्च 2025 को कानपुर में बिजली महापंचायत आयोजित की जायेगी। महापंचायत में बिजली कर्मियों के अलावा आम घरेलू उपभोक्ता और गरीब किसान भी सम्मिलित होंगे। महापंचायत के माध्यम से निजीकरण से होने वाले नुकसान से लोगों को अवगत कराया जायेगा।
- स) 10 मार्च 2025 को निजीकरण हेतु ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए टेक्निकल बिड खोले जाने के विरोध में बिजली कर्मी राजधानी लखनऊ में शक्तिभवन पर और समस्त जनपदों व परियोजना मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
- द) 11 मार्च 2025 से 09 अप्रैल 2025 तक विरोध प्रदर्शन के साथ ज्ञापन दो अभियान चलेगा। बिजली कर्मी विरोध प्रदर्शन के बाद निजीकरण के विरोध में मा. सांसदों एवं मा. विधायकों को ज्ञापन देंगे।
7. हम आपको यह भी सूचित करना चाहते हैं कि यदि शान्तिपूर्वक ध्यानाकर्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे किसी भी बिजली कर्मी पर कोई दण्डात्मक/उत्पीड़नात्मक कार्यवाही की गयी तो इसका प्रबल प्रतिकार किया जायेगा जिसका सारा उत्तरदायित्व पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन का होगा।

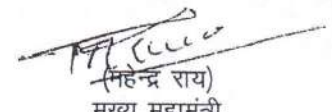
आदर सहित,

भवदीय

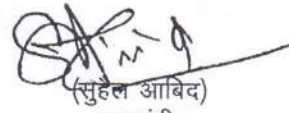

(जितेन्द्र सिंह गुर्जर)
महासचिव

उप्र राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ

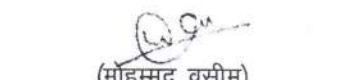

(हिरीश कुमार पाण्डेय)
महामंत्री
विद्युत मजदूर पंचायत, उप्र

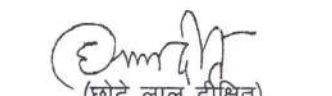

(महेन्द्र राय)
मुख्य महामंत्री
उप्र बिजली कर्मचारी संघ

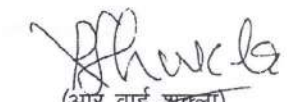

(पी के दीक्षित)
प्रमुख महामंत्री
हाईड्रो इलेक्ट्रिक इम्प.यू.उप्र


(सुहेल आबिद)
महामंत्री
उप्र बिजली मजदूर संगठन


(राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल)
प्रदेश अध्यक्ष
उप्र विद्युत मजदूर संघ


(मोहम्मद वसीम)
केन्द्रीय महासचिव
रा.वि.प.प्राविधिक कर्मचारी संघ. उप्र


(छोटे लाल दीक्षित)
प्रान्तीय अध्यक्ष
विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन. उप्र


(आर वाई सुक्ला)
अध्यक्ष
विद्युत मजदूर संगठन. उप्र



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-२, खण्ड (ख)

(परिचयित आदेश)

लखनऊ, शनिवार, ७ दिसम्बर, २०२४

अवकाश १६, १९६६ शक सम्बन्ध

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-२

संख्या एस०/२१-बी-२-२०२४-१(१२१)-०४

लखनऊ, ६ दिसम्बर, २०२४

अधिसूचना

आदेश

प०आ०-३२०

चुंकि, राज्य सरकार का यह समझना हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम, १९६६ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २० सन् १९६६) की धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय विगत में जारी अधिसूचना संख्या ६१४/२४-बी-२-२०२४, दिनांक ४ जुलाई, २०२४ को अधकर्मित करते हुए इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ६ मास की अवधि के लिए १-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ, २-उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ, ३-उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ, ४-बनपुर हलोजेनसिटी सप्लाय कम्पनी, कोरली, ५-मथोदा विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ, ६-पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, छठफरी, ७-प्रदिमानन्द विद्युत वितरण निगम लि०, पैरत, ८-दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगवा और ९-UP Renewable and EV Infrastructure Ltd., लखनऊ, के अधीन समस्त संस्थाओं में प्रकृतता निर्दिष्ट करती है।

उक्त अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन राज्यपाल महोदय विशेषतः निर्देश देती है कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाय।

आज्ञा:से,

सरेश कुमार सिंह,

संयुक्त सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 866/XXIV-P-2-2024-1(121)-04, dated December 6, 2024:

No. 866/XXIV-P-2-2024-1(121)-04

Dated Lucknow, December 6, 2024

WHEREAS, the State Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so.

Now, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P. Act no. XXX of 1966), the Governor, by superseding the previous notification no. 814/XXIV-P-2-2024, dated July 4, 2024 is pleased to prohibit for a period of six months from the date of publication of this order in the Gazette, strikes in all services under the 1. Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Lucknow, 2. Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow, 3. Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Lucknow, 4. Kanpur Electricity Supply Company (KESCO), 5. Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow, 6. Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Varanasi, 7. Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Meerut, 8. Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Agra, 9. UP Renewable and EV Infrastructure Ltd., Lucknow.

The Governor is further pleased to direct under sub-section (2) of the Section 3 of the said Act, that this order shall be published in the Gazette.

By order,
SARVESH KUMAR SINOH,
Sanyukt Sachiv.

वीरगन्ज/गोरखपुर-संख्या 276 असाधारण-2024-(121)-असाधारण प्रविर्ण (सीक्रेटरी/ऑफिसर)।
वीरगन्ज/गोरखपुर-संख्या 13 असाधारण-2024-(121)-असाधारण प्रविर्ण (सीक्रेटरी/ऑफिसर)।
175 RPS 2024 (Uja, Amulbag-7) (State) Date: 14



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

अधिसूचना क्रमांक, 14-अप्रोच मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-3971-औसं०-17/पाकालि/2024-159-ए०/67

दिनांक : 24 दिसम्बर, 2024

प्रबन्ध निदेशक,

पूर्वांचल/गण्डांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल,

विद्युत वितरण निगम लि०, एवं के०के०,

वाराणसी/लखनऊ/गोरख/आगरा एवं कानपुर।

विषय:- उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुसरण अधिनियम-1986 के अन्तर्गत उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करने वाले विधायक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ०प्र० शासन (ऊर्जा अनुभाग-2) की अधिसूचना आदेश संख्या-888-24-पी-2-24-1(121)/04 दिनांक 08.12.2024 (छायाप्रति संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- यथोपरि।

नयदीप

R Kumar

(प्रदीप कुमार)

महाप्रबन्धक (औसं०)

संख्या:- 3971(1) औसं०-17/पाकालि/2024- सवदिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उ०प्र० शासन (ऊर्जा अनुभाग-2) की अधिसूचना आदेश संख्या-888-24-पी-2-24-1(121)/04 दिनांक 08.12.2024 की प्रति संलग्न कर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वाराणसी/उ०प्र० गोरख/उ०प्र० आगरा/उ०प्र० कानपुर/उ०प्र० लखनऊ/उ०प्र० वाराणसी/उ०प्र० गोरख/उ०प्र० आगरा/उ०प्र० कानपुर, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग/आईटी० उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० वाराणसी/उ०प्र० गोरख/उ०प्र० आगरा/उ०प्र० कानपुर/उ०प्र० लखनऊ/उ०प्र० वाराणसी/उ०प्र० गोरख/उ०प्र० आगरा/उ०प्र० कानपुर, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अपर सचिव-I/II/III, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, वाराणसी लखनऊ।
9. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्पदा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन वित्तार, लखनऊ।
13. उप श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र, 23-ए०पी० सेन रोड, लखनऊ।
14. समस्त वारिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
15. अधिसूची अभियन्ता (वेब), फ०सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक :- यथोपरि।

(प्रदीप कुमार)

महाप्रबन्धक (औसं०)

संख्या- 397:1(II) और-17/पावलि/2024- उद्दिनांक :-

प्रतिलिपि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के समस्त श्रम/सेवा संघों को उ0प्र0 शासन की उक्त अधिसूचना के अनुपालन के संबंध में प्रेषित।
संलग्नक :- यथोपरि।

(प्रदीप कुमार)

महानिदेशक (सी0सं0)